कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक 658/14–1 रामपुर, दिनांक : 04, सितम्बर 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद

विषय :– रामपुर में पिपलया मिश्र से तीनपानी मुण्डिया कलां–कमुआ–केमरी मार्ग किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 की दायीं पटरी पर ग्राम नारायन नंगला के खसरा संख्या–238 पर मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.07758 (संशोधित 0.088768 है0) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्रांक सं0–488/रामपुर/27070/2017 दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

1:– प्रभावित वन भूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार कर दी गयी है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–27 पर संलग्न है।प्रस्ताव के मध्य भाग की गणना 16.30x **26.00** के आधार पर की गयी है। संशोधित गणना के अनुसार आनलाइन एवं आफ लाइन फार्म –ए ,बी संशोधित कर दिये गये है।

2:– प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी बिलास पुर के साथ मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली के जनपद रामपुर में स्थानीय रिटेल सेल्स प्रबन्धक श्री शमसुज्जुहा द्वारा भाग लिया गया इसलिये श्री शमसुज्जुहा द्वारा हस्ताक्षर किये गये है इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय वन अधिकारी के भी हस्ताक्षर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अंकित हैं तथा संयुक्त निरीक्षण पर प्रभागीय निदेशक द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये है।इस परिपेक्ष्य मे सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

3:– आनलाइन पार्ट–2 में महत्वपूर्ण अभिलेख अपलोड कर दिये गये है।

4:– जस्टीफिकेशन संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,रामपुर।

पत्रांक 658 /14–1 दिनांकित

प्रतिलिपि श्री अरूण ठाकले सी.डी.आर.एस.एम. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

D:/DS/Zaidi